न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 02 / 2022

प्रार्थीगण–

1. मेहराराम पुत्र देरामाराम
2. रामाराम पुत्र मेहराराम
3. बजरंगराम पुत्र मेहराराम

जाति जाट निवासी गोरसियों का तला काश्मीर, तहसील शिव जिला बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. ग्राम पंचायत काश्मीर जरिये सरपंच
2. मानाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी गोरसियों का तला काश्मीर तहसील व जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 13.02.1990 जो ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश सोलंकी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. श्री हेमेन्द्रसिंह भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से एकपक्षीय।

निर्णय

दिनांक : 18.12.2024

1. प्रार्थीगण की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत काश्मीर की ओर से अप्रार्थी सं. 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 13.02.1990 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अप्रार्थी ग्राम पंचायत का[illegible] द्वारा अप्रार्थी सं. 2 मानाराम पुत्र चेतनराम जाति जाट निवासी काश्मीर के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के अधीन ग्राम काश्मीर मे ग्र[illegible] विक्रय विलेख सं. शुन्य दिनांक 13.02.1990 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची मे वर्णित अनुसार 1050 वर्गफीट दर्शाया गया है। उक्त पट्टा

जिला कलक्टर
बाड़मेर

ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत काश्मीर का प्रश्नगत अभिलेख मंगवाया गया। ग्रामसेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा अपने पत्राचार दिनांक 21.03.2022 द्वारा लिखित में प्रकट किया गया कि ग्राम पंचायत रेकर्ड में मानाराम नाम के व्यक्ति के नाम से दिनांक 13.02.1990 को कोई पटा जारी नहीं है व न ही रेकर्ड अवलोकन में उक्त व्यक्ति के नाम से जारी पटा की मिसल पायी गयी हैं।

4. हमने अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि ग्राम पंचायत काश्मीर की आबादी भूमि में प्रार्थी के कब्जा शुदा आवासीय भूखण्ड आया हुआ है इसके उत्तर दिशा में डामर रोड़, दक्षिण में गेनाराम, पूर्व में उण्डू रोड़ व पश्चिम हनुमानजी मन्दिर की चार दिवारी आई हुई है। अप्रार्थी सं. 2 ने ग्राम पंचायत काश्मीर के तत्कालीन ग्राम सेवक/सरपंच को अपने प्रभाव में लेकर उक्त भूखण्ड को अपना पैतृक बताते हुए फर्जी पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 13.02.1990 को प्राप्त कर लिया। प्रार्थी को इसकी जानकारी तत्समय नहीं हो सकी तथा हाल ही में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त विवादित भूमि को लेकर एक वाद सिविल न्यायालय बाडमेर में प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया तथा उस वाद में विवादित पट्टे की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर जानकारी हुई। इस पर प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर उक्त पट्टे की प्रति प्राप्त करने हेतु निवेदन किया। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में कोई रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दी। ऐसी स्थिति में यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। ग्राम पंचायत रेकर्ड में उक्त पट्टा [redacted] करने के संबंध में कोई मिसल

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:35 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

उपलब्ध नहीं होना ही विवेच्य पट्टा फर्जी होना प्रमाणित है। उक्त पट्टा निर्धारित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किये बिना जारी किया होने से विधि अनुकूल नहीं है। विवादित पट्टा 1990 में जारी होना बताया गया है तथा उस समय अप्रार्थी संख्या 2 की उम्र मात्र 08 वर्ष थी जिसका 50 साल पुराना कब्जा होना कतई मानने योग्य नहीं है तथा न ही नाबालिग के पक्ष में पट्टा जारी किया जा सकता है। इस प्रकार विवेच्य पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की पालना नहीं किये जाने से प्रारंभ से शुन्य होने से निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधि विरुद्ध तरीके से जारी पट्टा खारिज फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी सं. 2 मानाराम के योग्य अधिवक्ता ने जवाब में प्रकट किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य का कोई भूखण्ड मौके पर नहीं हैं बल्कि उक्त भूखण्ड अप्रार्थी के स्वामित्व व आधिपत्य का पट्टाशुदा हैं। अप्रार्थी के पक्ष में पुराने कब्जे के आधार पर नियमानुसार पट्टा जारी किया गया हैं तथा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही ग्राम पंचायत कार्यालय में सम्पन्न हुई हैं तथा रेकर्ड में संधारित किया गया था जो अब यदि ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नही हैं तो इसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है किन्तु पत्रावली उपलब्ध नहीं होने के आधार पर उक्त पट्टा शुन्य और अकृत होना नहीं माना जा सकता हैं। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य के पट्टाशुदा भूखण्ड पर बेवजह दखलअंदाजी करने पर अप्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायाधीश, बाडमेर के न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किया जिसमें प्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है कि अप्रार्थी के भूखण्ड पर किसी प्रकार का दखल नहीं देवे और न ही जबरन कब्जा करें। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र सारहीन एव आधारहीन होने से मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:35 IST
Reason: SelfAttested

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा अप्रार्थी सं. 2 मानाराम के पक्ष मे राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1953 के अधीन ग्राम

जिला कलक्टर बाड़मेर

काश्मीर मे ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का विक्रय विलेख सं. शुन्य दिनांक 13.02.1990 जारी किया गया। उक्त पट्टा ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा बिना संकल्प लिये एवं नियमानुसार कार्यवाही किये जारी करने मे घोर अनियमितता और अवैधानिकता बरती जाने को आधार मानते हुए प्रार्थी ने उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलु पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह उक्त निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह प्रकट किया है कि विवादित भूखण्ड पर उनका कब्जा है तथा ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को गलत रूप से भूमि का नियमितीकरण किया गया हैं। प्रार्थीगण का यह भी कथन है कि आलोच्य पट्टा वर्ष 1990 में जारी किया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 की विद्यालय अभिलेखानुसार जन्म तिथि 01.02.1982 होने से तत्समय उसकी आयु मात्र 08 वर्ष थी। इस प्रकार अभिलेखीय तौर पर यह प्रमाणित है कि आलोच्य पट्टा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में गलत रूप से जारी किया गया है क्योंकि जब अप्रार्थी संख्या 2 की आयु 08 वर्ष थी तो उसका भूखण्ड पर 50 वर्ष पुराना कब्जा होना कतई मानने योग्य नहीं है। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा भी अवगत कराया है कि मानाराम नाम के व्यक्ति के नाम से दिनांक 13.02.1990 को कोई पट्टा जारी नहीं है। ऐसे में राजस्थान पंचायतीराज नियमों की औपचारिकताएं पूर्ण किए बिना जारी किया गया आलोच्य पट्टा विधि विरुद्ध एवं अनियमित होने से खारिज योग्य है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत काश्मीर द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 मानाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या शुन्य दिनांक 13.02.1990 निरस्त किया जाता है।

8. निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.03.28 11:17:35 IST
Reason: SelfAttested

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते